

28.01.17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में आरोपी को जारी गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील प्राप्त हो रहे हैं आरोपी को दिनांक 09-8-16 से लगातार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये जा रहे हैं गिरफ्तारी वारण्ट की तामीली का निबहन सम्यक रूप से नहीं हो पा रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी अपने आप को छिपाये हुये है तामील को प्राप्त नहीं करना चाहता है। बार-बार आरोपी को गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये जाने से न्यायालय का अमूल्य समय नष्ट हो रहा है ऐसे में आरोपी को धारा 299 द0प्र0स0 के तहत फरार घोषित करते हुये उसे जरिये स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ भाग पर टीप अंकित की जावे कि आरोपी फरार है प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सही/—

गोपेश गर्ग

जे.एम.एफ.सी.,गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)